



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244217
CG-DL-E-10032023-244217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1041]
No. 1041]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ. 1085(अ).—जबकि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.170(ई), दिनांक 10.01.2023, भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण संख्या 162, भाग II, खंड 3, उप- धारा (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3ए की उप-धारा (1) के तहत जारी (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा की पुडुचेरी जिले में किमी 0 से किमी 29 (डिप्टी कलेक्टर कार्यालय विल्लियानूर पुडुचेरी) तक की भूमि पर NH45A के निर्माण (चौड़ाई / चार लेन आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची पांडिचेरी राज्य;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" को "डेलीथंथी" और "04.02.2023" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पुडुचेरी राज्य के पुडुचेरी जिले में NH45A के कि.मी. 0 से कि.मी.29 (डी सी ओ विलियनर पुडुचेरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पुडुचेरी		जिले का नाम: पुडुचेरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: विलियानूर				
	गांव का नाम: अरियर				
1	129/11B	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0022	शशिकला वाइफ ओफ राजेन्द्रण (129/11बी)
2	129/12B	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0033	1. कुप्पम्माल वाइफ ओफ मन्नदान, 2. मालिगा वाइफ ओफ मोहन (129/12बी)
3	129/13	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0041	राजेन्द्रण सोन ओफ राजगोपाल (129/13)
4	129/14	निजी(कम्यून पंचायत)	ड्राय	0.0021	ठे कमिश्नर, विलियनर कम्यून पंचायत, विलियनर (129/14)
5	129/15	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0132	1. मुरुगप्पा जोसेफ सोन ओफ आरोकियासामी, 2. सुसैनाथन सोन ओफ मुरुगप्पा जोसेफ (129/15)
6	129/16B	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0014	1. बलरामन सोन ओफ गोविंदसामी नायडू, 2. राजी सोन ओफ बलरामन, 3. थयारामल वाइफ ओफ राजी (129/16बी)
7	129/17	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0036	पुंगोथाई वाइफ ओफ मुत्तुकृष्णन (129/17)
8	129/28	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0075	1. गणेशन सोन ओफ वेलैसामी, 2. लक्ष्मी वाइफ ओफ गणेशन (129/28)
9	129/40A	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0017	पंचथल वाइफ ओफ वीरप्पन (129/40ए)
10	129/40B	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0023	पंचथल वाइफ ओफ वीरप्पन (129/40बी)
11	129/58	सरकारी(एल्लुजीआर् पट्टा)	मनाई	0.0052	1. यसोथा वाइफ ओफ अरुमुगम, 2.

		पट्टा)			आधिशेषण सोन ओफ मुनिसामी @ अरुमुगम (129/58)
12	129/65	निजी(कम्यून पंचायत)	ड्राय	0.15	1. ठे कमिश्नर, विलियनर कम्यून पंचायत, विलियनर, 2. ठे प्रेसीडेंट, एडीएमके पार्टी, अरियुर, 3. ठे डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट ओफ स्कूल एजुकेशन, पुडुचेरी (129/65)
13	129/66	निजी(कम्यून पंचायत)	ड्राय	0.051	1. ठे कमिश्नर, विलियनर कम्यून पंचायत, विलियनर, 2. पार्वती वाइफ ओफ वेंगटेसन (129/66)
14	129/67	निजी(कम्यून पंचायत)	ड्राय	0.004	ठे कमिश्नर, विलियनर कम्यून पंचायत, विलियनर (129/67)
15	129/68	निजी(कम्यून पंचायत)	ड्राय	0.0077	ठे कमिश्नर, विलियनर कम्यून पंचायत, विलियनर (129/68)
			कुल	0.2593	

[फा. सं. NHA/11013/LA/3(a)-Notif/PIU-Villupuram/2013/3D2]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2023

S.O. 1085(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.170 (E), dated 10.01.2023, published in the Gazette of India, Extraordinary No.162, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH45A on the stretch of land from Km. 0 to Km. 29 (Deputy Collector Office Villianur Puducherry) in the district of PUDUCHERRY in the state of PONDICHERRY;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The New Indian Express” and “Dailythanthi” both dated 04.02.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any persons by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH45A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 29 (D C O Villianur Puducherry) in the district of PUDUCHERRY in the State of PONDICHERRY

State: PONDICHERRY			District: PUDUCHERRY		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Villianur				
	Village: Ariyur				
1	129/11B	Government(LGR Patta)	Manai	0.0022	Sasikala wife of Rajendiran 129/11B
2	129/12B	Government(LGR Patta)	Manai	0.0033	1. Kuppammal wife of Mannadan, 2. Maliga wife of Mohan 129/12B
3	129/13	Government(LGR Patta)	Manai	0.0041	Rajendiran son of Rajagopal 129/13
4	129/14	Private(Commune Panchayat)	Dry	0.0021	The Commissioner, Villianur Commune Panchayat, Villianur 129/14
5	129/15	Government(LGR Patta)	Manai	0.0132	1. Murugappa Joseph son of Arokiasamy, 2. Susainathan son of Murugappa Joseph 129/15
6	129/16B	Government(LGR Patta)	Manai	0.0014	1. Balaraman son of Govindasamy Naidu, 2. Raji son of Balaraman, 3. Thayarammal wife of Raji 129/16B
7	129/17	Government(LGR Patta)	Manai	0.0036	Poongothai wife of Muthukrishnan 129/17
8	129/28	Government(LGR Patta)	Manai	0.0075	1. Ganesan son of Vellaisamy, 2. Lakshmi wife of Ganesan 129/28
9	129/40A	Government(LGR Patta)	Manai	0.0017	Panchathal wife of Veerappan 129/40A
10	129/40B	Government(LGR Patta)	Manai	0.0023	Panchathal wife of Veerappan 129/40B
11	129/58	Government(LGR Patta)	Manai	0.0052	1. Yasotha wife of Arumugam, 2. Aadhiseshan son of Munisamy @ Arumugam 129/58
12	129/65	Private(Commune Panchayat)	Dry	0.15	1. The Commissioner, Villianur Commune Panchayat, Villianur, 2. The President, ADMK Party, Ariyur, 3. The Director, Directorate of School Education, Puducherry 129/65

13	129/66	Private(Commune Panchayat)	Dry	0.051	1. The Commissioner, Villianur Commune Panchayat, Villianur, 2. Parvathy wife of Vengatesan 129/66
14	129/67	Private(Commune Panchayat)	Dry	0.004	The Commissioner, Villianur Commune Panchayat, Villianur 129/67
15	129/68	Private(Commune Panchayat)	Dry	0.0077	The Commissioner, Villianur Commune Panchayat, Villianur 129/68
			TOTAL	0.2593	

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/PIU-Villupuram/2013/3D2]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.